



JEEVIKA

An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society State Rural Livelihoods Mission, Bihar



1st Floor, Vidyut Bhawan-II Bailey Road, Patna - 800 021, Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : www.brllp.in

Ref.: BRLPS/Pooj/713/14/219

Date: 19-04-2021

Office order

In light of the directive issued by home department, Government of Bihar (Letter No. Memo - G / Disaster - 06 -02 /2020 - 40 dated 18/04/2021 to contain the spread of Covid-19. It has been decided to close all the training centres and hostels in the state of Bihar of DDU-GKY/Roshni/RSETI. All the Project Implementing Agencies (PIAs)/Directors are directed to ensure that candidates reach their home safely following covid appropriate protocols. **The training centres/hostel will remain closed till 15th May 2021.** The letter from the state government is being put as an annexure -I.

All national heads, state heads, and centre managers are required to be apprised of the decision on priority by associated team members from SPMU. Similarly associated team looking after RSETIs to adhere to the directions mentioned. **All kinds of training or scheduled Job Fairs by SRLM stands cancelled with immediate effect till 15th May 2021.**

The directions stipulated in the office order needs to be implemented with immediate effect.


(Balamurugun D.)

Chief Executive Officer-Cum-State Mission Director

CC to:

1. All Promoters/National Head/State Heads/Centre manager of PIAs associated with DDU-GKY.
2. All SRLM Bihar Officials (SPMU/DPCU/BPIU)
3. RSETI directors of all districts.

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
आदेश

ज्ञापांक – जी/आपदा-06-02/2020- 40(वि0स0को0) पटना, दिनांक- 18 अप्रैल, 2021

दिनांक-18.04.2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा के उपरान्त कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 15.05.2021 तक निम्नांकित अतिरिक्त प्रतिबंध/कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया:-

1. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएंगी (बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह लागू नहीं होगा)। ऑनलाईन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत् चलते रहेंगे।
2. पिछले आदेश के द्वारा दुकानों को 7.00 बजे संध्या तक बंद करने का आदेश दिया गया था, अब संशोधित करते हुए अपराह्न 6.00 बजे बंद करने का आदेश दिया जाता है। सभी सरकारी / निजी कार्यालय 5.00 बजे बंद हो जाएंगे।
3. गत वर्ष की तरह Containment Zones बनाए जाएंगे और Containment Zones में प्रावधानित प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उनका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्गत किया जाएगा।
4. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
5. राज्य में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक Night curfew लागू रहेगा। बस/हवाई/रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।
6. रेस्टोरेंट/ढाबा/भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी एवं Take away service का संचालन रात्रि 9 बजे तक किया जा सकेगा।
7. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों – सरकारी एवं निजी – पर रोक रहेगी। यह रोक दफन/दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर लागू नहीं रहेगी। दफन/दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम सीमा 100 व्यक्तियों की निर्धारित रहेगी।
8. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल दिनांक-15.05.2021 तक बन्द रहेंगे।
9. जिला प्रशासन बाजारों में Staggering करेगा ताकि भीड़ नहीं हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार क्षेत्रवार/मुहल्लावार दुकानों को alternate days पर खोलने का आदेश दिया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन भीड़-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

10. जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में दंड प्रक्रिया की धारा-144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त प्रतिबंधों से आवश्यक सेवाओं (Essential Services) जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर छूट रहेगी। e-Commerce की गतिविधियाँ एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। अंतर जिला एवं अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगी। निर्माण कार्य एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

इसके अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन के स्तर से अपेक्षित होगी :-

- (i) महत्वपूर्ण दवाएँ यथा Remdesivir, High antibiotics एवं अन्य दवाओं की उपलब्धता जिला प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- (ii) मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अनुमंडल अस्पतालों तक गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था एवं treatment protocol निर्धारित किया जाएगा।
- (iii) AIIMS / PMCH / NMCH / IGIMS के चिकित्सकों द्वारा जिलों के डॉक्टरों का online orientation किया जाएगा।
- (iv) आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस की संख्या किराये पर लेकर भी बढ़ाई जाएगी।
- (v) भविष्य में कोविड केयर सेंटर एवं हेल्थ सेंटर पर बेड की संख्या को बढ़ाना पड़ सकता है। इसलिए अतिरिक्त भवनों को भी इस हेतु चिह्नित कर लिया जाएगा।
- (vi) सभी आवश्यक दवाओं / मानव बल की उपलब्धता की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा।
- (vii) Home isolation में रह रहे लोगों की daily monitoring होगी।, जरूरत पड़ने पर प्रतिदिन ऑक्सीजन / बुखार जाँचने एवं स्थिति गंभीर होने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर / उच्चतर कोविड सेंटर लाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (viii) सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में Liquid ऑक्सीजन प्लांट का अधिष्ठापन किया जाएगा।
- (ix) कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों के बचाव एवं सजग रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने हेतु miking के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।


- (x) जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनकी स्थिति की भी समीक्षा लगातार की जाए। आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक कलस्टर योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पहुँचाया जाएगा।



(आमिर सुबहानी) 18.4.21


विकास आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-02/2020- 40(वि0स0को0) पटना, दिनांक- 18 अप्रैल, 2021
प्रतिलिपि:- सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-02/2020- 40(वि0स0को0) पटना, दिनांक- 18 अप्रैल, 2021
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-02/2020- 40(वि0स0को0) पटना, दिनांक- 18 अप्रैल, 2021
प्रतिलिपि:- गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव